बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

!!संकल्प!!

विषय :– पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला पदाधिकारी, पटना के नियंत्रणाधीन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित नगर निकायों की एकीकृत "शहरी प्रबंधन इकाई" के गठन की स्वीकृति।

विगत कई वर्षों से पटना शहरी क्षेत्र में जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि के साथ पटना शहरी क्षेत्र का चौतरफा भौगोलिक विस्तार हुआ है। तीव्र गति से शहरीकरण के चलते पटना शहर के मुख्य सड़कों सहित लगभग सभी क्षेत्रों में शहरी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिला प्रशासन तथा जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहरी व्यवस्था के मुख्य घटकों यथा– अवैध वेंडर्स, अस्थायी अतिक्रमण, खटालों आदि को हटाने तथा बड़े नालों पर अतिक्रमण रोकने एवं सफाई निरीक्षण में पटना नगर निगम को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाता रहा है।

2. जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी अन्य विभागीय कार्यों, पर्व–त्योहार, प्रोटोकॉल, परीक्षा, राजनीति कार्यक्रमों, धरना प्रदर्शन आदि के निमित्त विधि–व्यवस्था संधारण में भी व्यस्त रहते हैं, जिस कारण निकायों के साथ शहरी व्यवस्था बनाये रखने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर नहीं हो पाता है। इसलिए आपसी समन्वय के उद्देश्य से शहरी व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा पटना नगर निगम/स्थानीय नगर परिषद् की एकीकृत टीम गठित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. उक्त संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

(i) पटना शहरी क्षेत्र की शहरी व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखने के लिए जिला प्रशासन; पुलिस प्रशासन; पटना नगर निगम; नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ; नगर परिषद्, दानापुर निजामत एवं नगर परिषद् खगौल की एक एकीकृत "शहरी प्रबंधन इकाई" गठित की जाती है, जो जिला पदाधिकारी, पटना के नियंत्रणाधीन रहेगी एवं जिला पदाधिकारी, पटना सम्पूर्ण कार्य के वरीय प्रभार में रहेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी (नगर व्यवस्था), पटना शहरी प्रबंधन इकाई के प्रभारी पदाधिकारी होंगे। इनके नियंत्रण एवं निर्देशन में यह इकाई कार्य करेगी।

(ii) उक्त प्रयोजन से, पटना शहरी क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार एवं जनसंख्या प्रसार को देखते हुए पटना नगर निगम; नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ; नगर परिषद्, दानापुर निजामत एवं नगर परिषद् खगौल के निकाय क्षेत्रों को निम्नवत् तीन प्रक्षेत्र (Zone) में बाँटा जाता है –

(क) पटना मध्य– पटना नगर निगम का बाँकीपुर, नूतन राजधानी तथा पाटलीपुत्र अंचल;

(ख) पटना पूर्वी– पटना नगर निगम का कंकड़बाग, अजीमाबाद तथा पटना सिटी अंचल;

(ग) पटना पश्चिमी– नगर परिषद्, दानापुर निजामत; नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ तथा नगर परिषद, खगौल।

(iii) "शहरी प्रबंधन इकाई" की संरचना निम्नवत् होगी :–

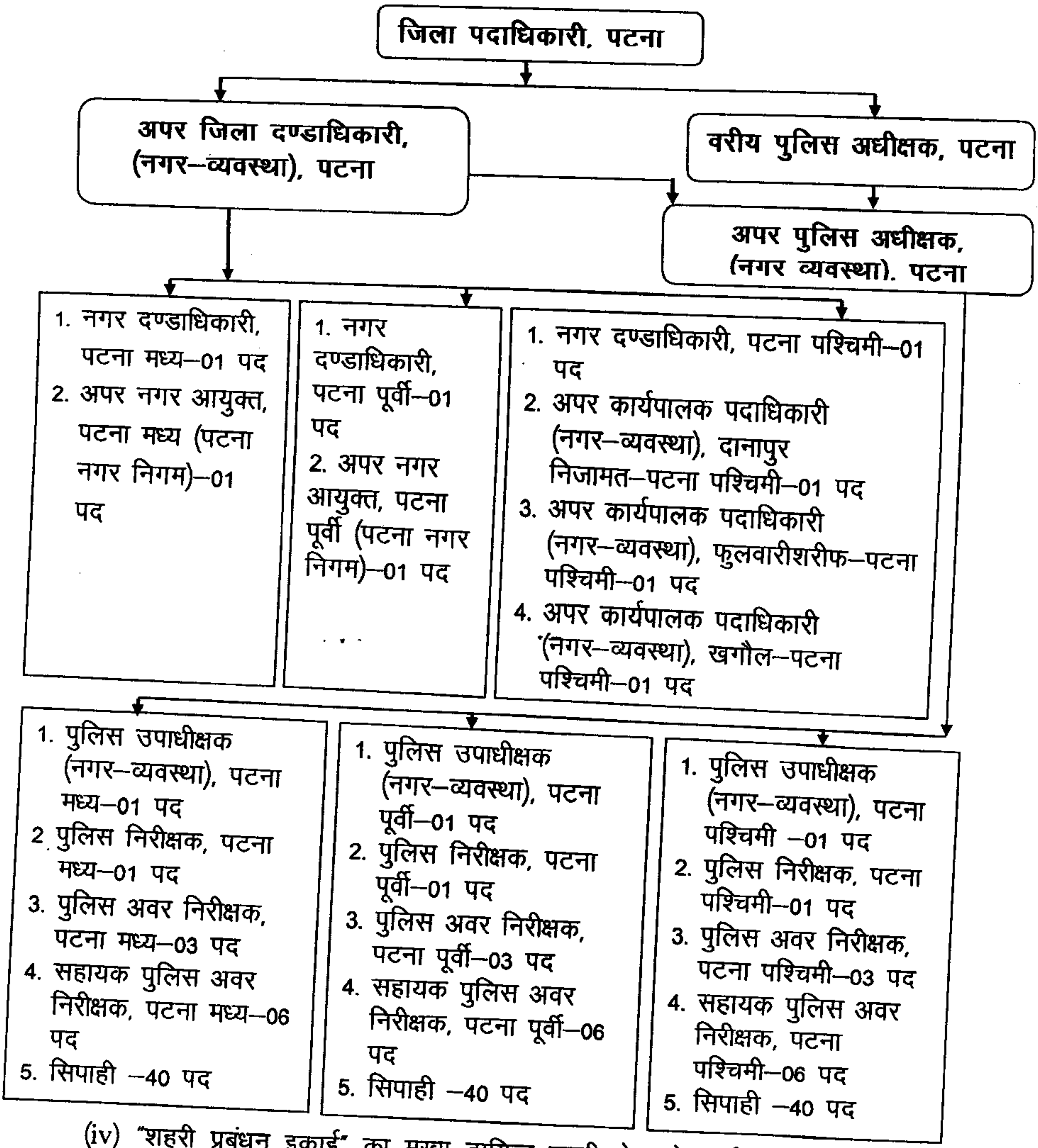

(iv) "शहरी प्रबंधन इकाई" का मुख्य दायित्व शहरी क्षेत्र के सार्वजनिक मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, नालों, पार्कों आदि को अवैध वेंडरों तथा स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त कराना, सरकारी भूमि का सीमांकन एवं संरक्षण कराना, अन्तर एजेंसी समन्वय कराना, अतिक्रमण मुक्त कराये गये स्थलों की नियमित साफ–सफाई हेतु संबंधित नगर निकाय से समन्वय करना तथा जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा एतद्विषयक समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

(v) "शहरी प्रबंधन इकाई" के गठन के उपरान्त भी बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन संबंधित नगर निकायों को प्राप्त शक्तियाँ एवं दायित्व अक्षुण्ण रहेंगे।

4. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rajendra 15.11.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–10/क्षे0स्था0–08 (पटना)–79/2024 सा0प्र0 18355/पटना–15, दिनांक 15.11.2024

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Rajendra 15.11.2024

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–10/क्षे0स्था0–08 (पटना)–79/2024 सा0प्र0 18355/पटना–15, दिनांक 15.11.2024

प्रतिलिपि–1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–14.11.2024 के मद संख्या–22 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–2492 दिनांक–04.09.2024 के प्रसंग में/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगौल को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajendra 15.11.2024

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–10/क्षे0स्था0–08 (पटना)–79/2024 सा0प्र0 18355/पटना–15, दिनांक 15.11.2024

प्रतिलिपि–1. सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01/12/14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajendra 15.11.2024

सरकार के प्रधान सचिव।